क्रम-संख्या—180

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1232/सत्रह-वि-1—1 (क)-10-2000

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 6 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 8-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8-क में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां कोई व्यापारी किसी कर देय माल को वाहन द्वारा परिवहन करता है तो वह वाहन के परिवहनकर्ता या चालक या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति को विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा गया एक माल परिवहन-मेमो देगा और ऐसे माल को ले जाने वाले वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे मेमो को उसके निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसी मांग पर वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति ऐसा मेमो प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह उपधारित किया जायगा कि :—

(क) व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल का लेखा-जोखा नहीं दिया है; या

(ख) यदि ऐसे माल का व्यापारी अभिनिश्चेय न हो तो परिवहनकर्ता, और यदि परिवहनकर्ता भी अभिनिश्चेय न हो तो यथास्थिति, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे माल का परिवहन अपने वास्ते कर रहा है;

और यथास्थिति ऐसे व्यापारी, परिवहनकर्ता, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर कर का निर्धारण किया जायगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डनीय भी होगा।"

धारा 13-कक का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम में, धारा 13-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

न्यून मूल्यांकन की दशा में माल को अधिगृहीत करने की शक्ति

"13-कक—(1) जहां कर निर्धारण प्राधिकारी या धारा 13-क के अधीन सशक्त किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने वाले व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल को आयात करने के लिये घोषणा-प्रपत्र में ऐसे माल का प्राक्कलित मूल्य उसकी उचित कीमत से कम दर्शाया गया है या ऐसे प्रपत्र में प्राक्कलित विक्रय मूल्य नहीं दर्शाया है और ऐसे माल का उपधारित विक्रय मूल्य ऐसे माल की उचित कीमत से कम है, तो ऐसा प्राधिकारी या प्राधिकारी व्यापारी को, यथास्थिति, ऐसे प्राक्कलित विक्रय मूल्य या उपधारित विक्रय मूल्य के 105 प्रतिशत का भुगतान करके, ऐसे माल को अधिगृहीत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

(3) घोषणा-प्रपत्र पर छपी हुई नोटिस को उपधारा (2) के प्रयोजन के लिये नोटिस समझी जायगी और व्यापारी की सुनवाई के लिये अलग से नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत माल को ऐसी रीति से निस्तारित किया जायगा जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(एक) "उचित कीमत" का तात्पर्य ऐसी रीति से अवधारित मूल्य से है जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(दो) उपधारित विक्रय मूल्य घोषणा-प्रपत्र में दर्शायी गयी क्रय कीमत की 110 प्रतिशत के बराबर होगा।

अधिसूचना का संशोधन

4—अधिसूचना संख्या का0 नि0-2-2516/ग्यारह-7 (21)/86-उ0 प्र0 अधिनियम-15-48-आदेश-99, दिनांक 29 नवम्बर, 1999 में शब्द और अंक "30 मई, 1999 से" के स्थान पर शब्द और अंक "पहली अप्रैल 1999 से" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

...र प्रदेश ...ध्यादेश ...ंख्या 7 ...न् 2000

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1232 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-10-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 20 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2000. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on March 6, 2000.

2. In section 8-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 8-A of U.P. Act no. 15 of 1948

"(5) Where any dealer transports any goods liable to tax, by a vehicle, he shall furnish to the transporter or driver or any other person-in-charge of the vehicle, a duly filled goods transport memo in the prescribed form and the transporter or the driver or the person-in-charge of the vehicle carrying such goods shall, on demand by an officer authorised under sub-section (2) of section 13, produce such memo for his inspection. If the transporter or the driver or the person-in-charge of the vehicle fails to produce such memo on such demand it shall be presumed that :—

(*a*) the dealer has not accounted for such goods with a view to evade payment of tax; or

(*b*) if the dealer of such goods is not ascertainable, the transporter, and if the transporter is also not ascertainable the owner or the person-in-charge of the vehicle, as the case may be, is transporting such goods in his own account;

and such dealer, transporter, owner or person-in-charge of the vehicle, as the case may be, shall be assessed, and be also liable to penalty in accordance with the provisions of this Act."

(11)

Insertion of section 13-AA

3. In the principal Act, *after* section 13-A, the following section shall be *inserted*, namely:—

"13-AA (1) Where the assessing authority or an officer empowered under section 13-A, is satisfied that any dealer bringing, importing or otherwise receiving into the State from any place outside the State any goods has, with a view to evade payment of tax, shown the estimated sale value of such goods in the declaration form for import accompanying such goods less than the fair price of such goods or has not shown the estimated sale value in such form and the presumed sale value of such goods is less than the fair price of such goods, such authority or officer may acquire such goods on payment of 105 percentum of such estimated sale value or presumed sale value, as the case may be, to the dealer.

Power to acquire goods in case of under valuation

(2) The power under sub-section (1) shall not be exercised unless the dealer is afforded an opportunity of being heard.

(3) The notice printed on the declaration form shall be deemed to be a notice for the purpose of sub-section (2) and no fresh notice shall be required to be given for hearing to the dealer.

(4) The goods acquired under sub-section (1) shall be disposed of in such manner as may be specified by the Commissioner.

Explanation :—For the purposes of this section,—

(*i*) "fair price" shall mean the value, determined in such manner as may be specified by the Commissioner.

(*ii*) presumed sale value shall be equal to 110 percentum of the purchase price shown in the declaration form."

Amendment of notification

4. In notification no. KA.NI.-2-2516/XI-7(21)/86-U.P.Act-15-48-Order-99, dated November 29, 1999 *for* the words and figures "from May 30, 1999" the words and figures "from April 1, 1999" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all meterial times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 49 सा० विधा०--(475)--2000--850 (मेक०)।